<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.

मिसल नं. ::: 407 / 2021

सरकार बनाम राजेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति–अहीर, निवासी– काजड़ा

<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत</u>

निर्णय दिनांक 25.11.2021

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल राजेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति–अहीर, निवासी–काजड़ा द्वारा रोही मौजा काजड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 249 कुल रकबा 0.2500 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0650 है0 भूमि पर तारबन्दी कर रास्ते पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 20 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं......42.......... पर
वर्ष..2021-22..में रूपये..20/-..कायम किया
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़